(212)

(319)

समक्ष राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर, कैम्प कोर्ट रीवा (म०प्र०)

R. Rs. 5089-री/15

विलोपित/विलोपित

विलोपित/विलोपित

1- सुदामा प्रसाद (तनय रामस्वरूप ब्रा० ग्राम हटवा, निर्भयनाथ, तह०
2- रामनिहोर (हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०) ------- आवेदकगण

बनाम

1- राजमणि, (
2- कुंजबिहारी (तनय श्री रामरूप ब्रा० सा० हटवा निर्भयनाथ, तह०
3- गोमती (हनुमना, जिला-रीवा (म०प्र०) ----- अनावेदकगण

एल.पी. शर्मा ... एड के 6.X.15

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

निगरानी विरुद्ध आदेश राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी, तहसील- हनुमना, जिला रीवा, दिनाँक 12/5/15 अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू- राजस्व संहिता 1959ई.

मान्यवर,

आधार निगरानी निम्नलिखित है :-

(01) यहकि प्रश्नास्पद आदेश दिनाँक 12/5/15 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक विधि विधान के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है।

(02) यहकि प्रथम तया सीमांकन आवेदन ही अप्रचलन शील था क्योंकि आदेश से स्पष्ट नही होता कि किनके द्वारा आवेदन-पत्र दिया गया। आदेश में वगैरह शब्द लिखा गया जो अपने आपमें अस्पष्ट है।

(03) यहकि आवेदन संहिता में बने धारा-129 के नियमों के तहत सीमावर्ती काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया गया, नही सूचना दी गई जिसके अभाव में उनके द्वारा पक्ष समर्थन नही किया जा सका।

(04) यहकि अनावेदकगण इन्ही भूमियों और अन्य भूमियों के सम्बन्ध मे वर्ष 1991 में सीमांकन हेतु आवेदन दिया था और जिसमें आवेदकगण द्वारा उज़दारी प्रस्तुत की गई थी जो उज़दारी स्वीक

(2)

212

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

क्रमांक निग.5089-II / 2015 जिला–रीवा

सुदामा प्रसाद ब्रा0 / राजमणि ब्रा0 वगैरः

(1)	(2)	(3)
23.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ओ0पी0 मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक, वृत्त खटखरी तहसील हनुमना के प्रकरण क्रमांक 37 / अ–12 / 2014–15 में पारित आदेश दिनांक 12.05.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 10.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	